

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई
कार्रवाई के बारे में
टिप्पणी तारीख सहित

2

3

23

अभिलेख उपस्थापित।

धनेश्वर पासवान पिता केशो पासवान, निवास स्थान हुडहुडु, वार्ड नम्बर-35, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग वर्तमान पता-बालमंडली हनुमान मंदिर के पीछे, पोस्ट-अरगडा, सिरका, जिला-रामगढ़ द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-हुडहुडु, थाना नं०-147, खाता संख्या-48, प्लॉट संख्या-1782, रकवा 0.05 एकड़ (05 डिसमिल) (पाँच डिसमिल) भूमि धनेश्वर राम पिता सुखलाल राम, निवास स्थान हरि नगर, कटकमदाग, थाना-कटकमदाग, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री करने हेतु आवेदक एवं प्रस्तावित क्रेता का जाति, आदासीय प्रमाण-पत्र एवं भूमि संबंधी कागजात संलग्न करते हुए आवेदन समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या-135/2023 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक 667/रा० दिनांक 21.02.2023 द्वारा अंचल अधिकारी, सदर को आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन खिहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के पत्रांक 666 दिनांक 10.04.2023 से जाँच प्रतिवेदन, आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन, ट्रेस नक्शा एवं चेक स्लीप उपलब्ध कराया गया है। आम इस्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग से प्राप्त प्रतिवेदानुसार -

क्रेता एवं विक्रेता अनुसूचित जाति के अन्तर्गत है एवं हजारीबाग जिला के निवासी हैं। आवेदित भूमि केवाला से हासिल है। खतियान के अनुसार प्रश्नगत भूमि रैयती खाते की है। खतियानी रैयत धरम दुसाध हैं। केवाला से खरीदगी भूमि 05डी० है तथा खतियान में भूमि का कुल रकवा 6.88 एकड़ भूमि है। पंजी-11 अनुसार जमाबंदी रैयत द्वारा धारित कुल रकवा 0.05 एकड़ भूमि है। पंजी-11 के पृष्ठ संख्या-27/XVIII में धनेश्वर पासवान के नाम से जमाबंदी दर्ज है। लगान रसीद वर्ष 2022-23 तक निर्गत हैं। आवेदक स्वयं जमाबंदी रैयत है। पूर्ण भूमि आवेदक की है। बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् रकवा 0.16 एकड़ भूमि बचती है। विक्रेता को भूमि बिक्री करने का अधिकार है। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू-अधिग्रहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन विभाग की भूमि/ सरकारी भूमि के अन्तर्गत नहीं है तथा BLR Act Section-4h से मुक्त है। विक्रेता का दखल कब्जा है।

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश कार्यवाही तिथि
1	<p style="text-align: center;">2</p> <p>प्रश्नगत भूमि का ट्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को लाल रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में प्रस्तावित भूमि का चौहद्दी भी अंकित किया गया है।</p> <p>अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा विक्रेता को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत प्रश्नगत भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है।</p> <p>उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के अनुशंसा के आलोक में धनेश्वर पासवान पिता केशो पासवान, निवास स्थान हुड़हुड़, वार्ड नम्बर-35, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग वर्तमान पता-बालमंडली हनुमान मंदिर के पीछे, पोस्ट-अरगडा, सिरका, जिला-रामगढ़ को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-हुड़हुड़, थाना नं०-147, खाता संख्या-48, प्लॉट संख्या-1782, रकबा 0.05 एकड़ (05 डिसमिल) (पाँच डिसमिल) भूमि धनेश्वर राम पिता सुखलाल राम, निवास स्थान हरि नगर, कटकमदाग, थाना-कटकमदाग, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p style="text-align: center;">अपर समाहर्ता, हजारीबाग।</p> <p style="text-align: right;">अपर समाहर्ता, हजारीबाग।</p>	